राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए—ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर—302005

(दूरभाष नं0:—0141—2740837, फैक्स 0141—2742309, ई मेल:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:— एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे—III/643 दिनांक :—03.08.23

कार्यालय आदेश

श्री अशोक कुमार देवड़ा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—II को इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 1366 दिनांक 31.03.2022 के द्वारा पंचायत समिति, सुमेरपुर जिला पाली में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 22 परिवारों के लाभार्थियों को देय अनुदान राशि अन्य व्यक्तियों के खाते में हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में अनियमित भुगतान के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा **(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)** नियम—13 में प्राप्त शक्तियों के अनुसरण में निलम्बित किया गया था।

उक्त क्रम में निदेशालय का ज्ञापन दिनांक 16.06.2023 जारी कर श्री देवड़ा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें **(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)** नियम—1958 के नियम—16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री देवड़ा के प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 05.05.2023 की पालना में अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखते हुए निलम्बन से बहाल कर कार्यालय उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, पाली में पदस्थापित किया जाता हैं। निलम्बन काल एवं इसमें देय वेतन भत्तों आदि का निर्णय इनके विरूद्ध चल रही जॉच के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन,
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:— एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे—III/643 दिनांक :—03.08.23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. कार्यालय कोषाधिकारी, (शहर) जोधपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. पदस्थापन सीट/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
5. श्री अशोक कुमार देवड़ा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—II कार्यालय कार्यालय कोषाधिकारी, (शहर) जोधपुर।

(के. जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—II/III)

G:\2019\Neetuji\ORDERS.docxs.docx 108